

विभिन्न कालों में महिलाओं की बदलती हुई परिस्थिति

सारांश

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं स्थान में परिवर्तन हो रहा है। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के अनेक रूप हैं जैसे— कन्या भ्रूण हत्या, शिशु कन्या हत्या, परिवार में लड़कियों की शिक्षा तथा स्वास्थ्य की उपेक्षा, अल्पायु में विवाह, बलात्कार, बलात्-वैश्वाकरण आदि। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। वैदिककाल में महिलाओं की प्रस्थिति अत्यन्त उन्नत थी। उत्तरवैदिक काल, धर्मशास्त्र युग एवं मध्यकालीन युग में महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट आयी। आधुनिक युग में स्वतन्त्रता से पहले महिलायें सामाजिक, आर्थिक, परिवारिक एवं राजनीतिक निर्णयगताओं की शिकार रहीं। पुरुषों ने महिलाओं को दुर्बल समझकर उनके अधिकार, कार्य पर हस्तक्षेप प्रारम्भ कर दिया था। परन्तु धीरे-धीरे अब महिलाओं की स्थिति म अधिक सुधार हो रहा है।

मुख्य शब्द : भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति, कन्या भ्रूण हत्या, पुरुषों की प्रतियोगी महिलाएँ, वैदिक काल, उत्तरवैदिक काल, धर्मशास्त्र युग, मध्यकालीन युग, आधुनिक युग, स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं की प्रस्थिति, स्वतन्त्रता के बाद नारी सुधार के कारक, महिला सशक्तीकरण।

प्रस्तावना

भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति एवं स्थान में परिवर्तन होता रहा है। कुछ विद्वान मानते हैं, कि वैदिक काल में नारी को पुरुष के समान ही अधिकार प्राप्त थे व पुरुष समाज में नारी को पुरुषों के समान ही सम्मान प्राप्त था। शिक्षा, विवाह, सम्पत्ति के सम्बन्ध में उन्हें समान अधिकार प्राप्त थे तो कुछ क्षेत्रों में उन्हें विशिष्ट स्थान भी प्राप्त था। पुनः आधुनिक काल में नारी की स्थिति में अन्तर आया और समकालीन भारतीय महिला तो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रही हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, कलेक्टर, न्यायाधीश जैसे सर्वोच्च संवैधानिक पदों पर भी महिलाएँ सुशोभित हो रही हैं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद 1950 में स्त्रियों को पुरुषों के समान अधिकार दिये गये। लेकिन अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष, महिला दशक, इंटरनेशनल इयर ऑफ गर्ल चाइल्ड के बाद वर्ष 2001 महिला सशक्तिकरण के रूप में मनाया गया जो कि इस बात का घोतक है कि आजादी के 66–68 वर्ष बीत जाने के उपरान्त भी संविधान द्वारा दिये गये “समानता के अधिकार” से महिलाएँ वंचित हैं। संवैधानिक प्रावधानों और कानूनों के बावजूद महिलाओं के उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के अनेक रूप हैं, जैसे— कन्या भ्रूण हत्या, शिशु कन्या हत्या, परिवार में लड़कियों की शिक्षा और स्वास्थ्य की उपेक्षा, अल्पायु में विवाह, बलात्कार, बलात्-वैश्वाकरण आदि।

आधुनिक महिलाएँ जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की प्रतियोगी हैं फिर भी वे पहले से कहीं ज्यादा असुरक्षित हैं। “संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के अनुसार भारत की 24.5 करोड़ महिलाएँ निरक्षर हैं। 90 प्रतिशत महिलाएँ ऐसी हैं जिन्हें अपने स्वास्थ्य से सम्बन्धित निर्णय लेने का अधिकार नहीं है। रिपोर्ट में आधुनिक समय में भी नवजात बच्चियों की हत्या तथा भ्रूण हत्या पर भी प्रकाश डाला गया है” नारी को राजनीतिक क्षेत्रों में भी उतने अधिकार नहीं मिलते हैं, जितने कि पुरुषों को, और न ही राजनीतिक दल पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक वरीयता देते हैं। पुरुष वर्ग नारी को अपनी दासी के समान समझता है। समाज में आज नारी की सामाजिक प्रस्थिति में कुछ सुधार हुआ है और पुरुष वर्ग इन्हें दूसरे दर्जे का नागरिक समझता है। भारतीय समाज में जितनी परम्पराएँ,



तरुणे श

शोधार्थी,
समाजशास्त्र विभाग,
नारायण कॉलेज, शिकोहाबाद,
फिरोजाबाद, २०२०

रीति-रिवाज, धार्मिक अनुष्ठान पाये जाते हैं, वे सब पुरुषों द्वारा निर्मित हैं, इसके पीछे नारी का शोषण छिपा रहता है, परन्तु इनको धार्मिक लिबास पहनाकर नारी को मानने के लिए विवश किया जाता है।

राजकिशोर (1950) ने "मणिमाला-स्त्री, परम्परा और आधुनिकता" के बारे में बताया। किशोर (1955) ने "स्त्री-पुरुष : कुछ पुनर्विचार" का अध्ययन किया। दुआ (1955) ने "आधुनिक हिन्दी कहानी में नारी की भूमिका" का वर्णन किया तथा 1960 में इन्होंने "आधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी" का अध्ययन किया।

मुकर्जी (2006) ने "भारतीय समाज व संस्कृति" में नारी के बारे में बताया कि प्राचीन समाज में नारियों की प्रस्थिति में समय के साथ-साथ बदलाव हुआ। हमारी प्राचीन व्यवस्था में स्त्रियों को उच्च स्थान प्राप्त था। सुख, शान्ति, वैभव, शक्ति एवं ज्ञान के प्रतीक के रूप में मानते थे। कहीं पर नारी की पूजा दुर्गा के रूप में, कहीं पर सरस्वती के रूप में तो कहीं पर रणचण्डी के रूप में होती है। नारी सुन्दरता की प्रतीक होने के नाते प्रशंसा का पात्र रही है जिसका वर्णन निम्न श्लोक में है —

"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"

जहाँ नारियों की पूजा होती है वहीं देवता निवास करते हैं, और जहाँ इनकी पूजा नहीं होती वहाँ सभी कार्य निष्फल होते हैं। परन्तु धीरे-धीरे नारियों के स्थान में परिवर्तन होता गया। पुरुषों ने नारियों को दुर्बल समझकर उनके अधिकार, कार्य और सीमा पर हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इसके परिणामस्वरूप एक समय ऐसा भी आया जबकि नारियों की सीमा घर की चारदीवारी तक सीमित होकर ही रह गयी। परिवार में कन्या का जन्म अशुभ माना जाने लगा। स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय समाज में महिलाओं की प्रस्थिति में काफी सुधार हुआ है। हमारे देश की नारियाँ आज प्रत्येक क्षेत्र में पुरुषों की बाबारी करने का प्रयास कर रही हैं।

वैदिक काल

हिन्दू समाज में वैदिक काल में महिलाओं की प्रस्थिति अत्यन्त उन्नत अवस्था में थी। उन्हें समाज तथा परिवार में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था। उन्हें शिक्षा, विवाह, धर्म आदि क्षेत्रों में पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। पत्नी परिवार में महत्वपूर्ण रहती थी। इसीलिए उसे अद्वागिनी का दर्जा प्राप्त था। दोनों पति एवं पत्नी साथ-साथ यज्ञ करते थे। बिना नारी के धार्मिक कार्य अधूरा समझा जाता था। 'शतपथ ब्राह्मण' आदि ग्रन्थों में भी नारी को अद्वागिनी तथा पुरुष का अद्व शरीर माना गया है। पुरुष नारी के बिना पुरुषार्थ (धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष) की प्राप्ति नहीं कर सकता।

उत्तरवैदिक काल (600 ई०पू० – 300 ई०पू०)

इस काल में महिलाओं की प्रस्थिति में कुछ ह्वास हुआ। नारियों को वेदपाठ की मनाही की गई तथा उनके यज्ञ करने पर प्रतिबन्ध लगाया गया। पति के परमेश्वर होने की भावना का बीजारोपण हुआ, विधवा पुनर्विवाह पर पूर्ण निषेध लगा दिये गये। इनसे उनकी प्रस्थिति काफी निम्न हो गई। लड़की पैदा होना परिवार के लिए अभिशाप माना जाने लगा, परन्तु इन सबके बावजूद महिला की प्रस्थिति अधिक शोचनीय नहीं थी।

धर्मशास्त्र युग (तीसरी शताब्दी से 11वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध तक)

इस युग को 'स्मृति युग' भी कहा जाता है। इस काल में महिलाओं की प्रस्थिति में गिरावट स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। पत्नी का पति की सेवा करना ही धर्म बताया गया। वे पति का चयन नहीं कर सकती थीं। ऐसा माना गया कि नारियों का बाल्यकाल पिता के संरक्षण में, युवावस्था पति तथा वृद्धावस्था अपने बेटे के संरक्षण में बिताना चाहिए। उनकी शिक्षा पर प्रतिबन्ध सा लग गया। बाल-विवाह का जोर, विवाह में कन्या की रुचि का अन्त, पुरुष का नारी पर पूर्ण नियन्त्रण, विधवा पुनर्विवाह का निषेध, सती प्रथा आदि। इससे नारी को हासोन्मुख प्रस्थिति का अनुमान लगाया जा सकता है।

मध्यकालीन युग

मध्यकाल में महिलाओं की प्रस्थिति में और अधिक गिरावट आ गयी। इस काल में महिला की शिक्षा का प्रायः लोप हो गया। कन्या की उम्र 8–9 वर्ष की होते ही विवाह किये जाने लगे। विधवा पुनर्विवाह प्रतिबन्धित हो गया। पर्दा प्रथा शुरू हो गई। सती प्रथा ने और अधिक जोर पकड़ लिया। इस युग में मुख्य रूप से महिलाओं की आर्थिक पराधीनता, कुलीन विवाह प्रथा, अन्तर्विवाह, बाल-विवाह, अशिक्षा और संयुक्त परिवार प्रणाली को ऐसे कारण माना गया जिनसे महिलायें की प्रस्थिति में अत्यधिक गिरावट आ गई।

आधुनिक युग (मध्य 19वीं शताब्दी से आगे) स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाओं का प्रस्थिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति से पूर्व महिलाएँ अनेक सामाजिक, आर्थिक, पारिवारिक व राजनीतिक निर्याग्यताओं का शिकार रहीं। इस काल में नारियों की निम्न प्रस्थिति बनाये रखने में अशिक्षा, आर्थिक पराधीनता, बाल-विवाह, संयुक्त परिवार प्रणाली, वैवाहिक प्रथाएँ (कुलीन विवाह, बहुपत्नी प्रथा, विधवा, पुनर्विवाह निषेध, दहज आदि) तथा मुसलमानों के आक्रमण आदि कारणों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अंग्रेजी शासनकाल से नारियों की प्रस्थिति में सुधार होना प्रारम्भ हुआ।

स्वतन्त्रता के पश्चात् महिलाओं की प्रस्थिति

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् महिलाओं की प्रस्थिति में और भी अधिक सुधार हुआ है। सरकार, गैरसरकारी संगठनों (महिला संगठनों सहित) तथा समाज सुधारकों के प्रयासों के परिणामस्वरूप आज भारतीय नारी की प्रस्थिति मध्यकाल की नारी से कहीं ऊँची है। राजा राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, श्रीमती एनी बैसेन्ट तथा महात्मा गांधी ने नारी-उत्थान के लिए काफी कार्य किये। आज भारतीय महिला को अपना जीवन साथी चुनने का पूरा अधिकार प्राप्त है। आर्थिक क्षेत्र में वे पुरुषों के साथ कन्धे से कन्धा मिलाकर कार्य कर रही हैं। उन्हें तलाक का अधिकार प्राप्त है। पारिवारिक सम्पत्ति में उन्हें उत्तराधिकार प्राप्त है। राजनीतिक क्षेत्र में भी महिलाएँ पुरुषों से पीछे नहीं हैं। स्थानीय स्तर पर (पंचायतों में) उन्हें आरक्षण की सुविधाएँ भी प्राप्त हो गई हैं। राज्य, विद्यानसंसाधारणों एवं लोकसभा में भी इनके आरक्षण हेतु सभी राजनीतिक दल प्रयासरत हैं। आज भारतीय नारी पूर्णतः पुरुष पर ही आश्रित नहीं है, वह पुरुष की जीवन साथी बनती जा रही है।

स्वाधीनता के पश्चात विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजिनी नायडू, मदर टेरेसा, इन्दिरा गांधी, प्रतिभा पाटिल, मीरा कुमार, सुमित्रा महाजन आदि महिलाओं ने अपने व्यक्तित्व व कृतित्व से देश का मान बढ़ाया। मदर टेरेसा ने दूसरों के जीवन को समाज सेवा एवं कल्याणकारी सुन्दर बनाने में अपना सम्पूर्ण जीवन लगा दिया। विजयलक्ष्मी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के महत्वपूर्ण अंग 'महासभा' में अध्यक्ष पद सुशोभित कर भारत का गौरव बढ़ाया। राजनीति के क्षेत्र में इंदिरा गांधी की कूटनीति व दूरदर्शिता की कोई कमी नहीं रही। प्रतिभा पाटिल ने राष्ट्रपति पद तथा मीराकुमार एवं सुमित्रा महाजन ने लोकसभा अध्यक्ष का पद सुशोभित कर भारत का मान एवं गौरव बढ़ाया।

जीवन के प्रत्येक घटनाक्रम में महिलाओं का वर्चस्व व्याप्त है। महिलाएँ प्रत्येक राजनीतिक दल में प्रभावी नेत्रियाँ हैं। सक्रिय राजनीति में ममता बेनर्जी, सोनिया गांधी, सुषमा स्वराज, शीला दीक्षित, राबड़ीदेवी, रामाबेन, जयललिता, जया जेटली, गिरिजा व्यास, मोहिनी गिरी, नजमा हेपतुल्ला, मायावती अग्रणी हैं। आई.पी.एस. अधिकारी किरण बेदी की सदस्यता, गायन क्षेत्र की अद्वितीय प्रतिभा स्वर कोकिला लता मंगेशकर, अभिनेत्री शबाना आजमी, दीपिका सिंह, विद्या बालन, करीना कपूर, नेहा यादव, हेमामालिनी, धाविका पी.टी.उषा, ओलम्पिक एथ्लीट के, मल्लेश्वरी, उडनपरी कल्पना चावला, पर्वतारोही बच्छेन्द्रीपाल, साधी उमा भारती, सपादक पत्रकार मृणाल पाण्डे इत्यादि महिलाओं ने नई पहचान बनाई है। इनकी प्रतिभा, क्षमता एवं योग्यता पर सभी नतमस्तक हैं। जिस प्रकार राजनीति में नेत्रियों की पकड़ है, उसी प्रकार फिल्म जगत में अभिनेत्रियों की भरमार है।

साहित्य सृजन में सभी विधाओं में वे प्रतिष्ठित हैं। सौन्दर्य प्रतियोगिताओं में विश्व स्तर पर अग्रिम पंक्ति में हैं। विश्वसुन्दरी (मिस वर्ल्ड) का खिताब अर्जित करने वाली भारतीय सुंदरियों में जहाँ रीता फारिया (1966), ऐश्वर्या राय (1994), डायना हैडन (1997), युक्तामुखी (1999), प्रियंका चौपड़ा (2000) हैं, वहाँ ब्रह्माण्ड सुन्दरी (मिस यूनीवर्स) का ताज सुस्मिता सेन (1994), लारा दत्ता (2000) ने पहना है और देश को गौरव व सम्मान दिलाया है।

आज की महिलाएँ जागरूक हैं, सचेत हैं। गाँवों में भी साक्षरता के प्रति होड़ मची है। राजनीति ने, फिल्म जगत ने उन्हें भी प्रभावित किया है। वास्तव में आज हर जगह महिलाओं का पूर्ण वर्चस्व है। दफ्तर में, घर-परिवार में, जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप में यह प्रभुत्व सकारात्मक है। आज की नारी कल के भविष्य की अधिकारी है, आज की महतारी है, विकास की धुरी है।

उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय स्त्रियों की प्रस्थिति में काफी सुधार हुआ है।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् नारी सुधार के कारक

शिक्षा के प्रसार, औद्योगिकरण व नगरीकरण, एकाकी परिवारों की संख्या में वृद्धि, महिलाओं में सामाजिक चेतना, अन्तर्जातीय व प्रेम विवाहों के प्रचलन,

राजनीतिक चेतना, वैधानिक सुविधाएँ आदि कारकों ने महिलाओं की प्रस्थिति को पुरुषों के बराबर लाने में सहायता दी है। राजनीति में प्रवेश के कारण महिलाएँ शक्ति सम्पन्न पदों पर भी पहुँचने में सफल रही हैं।

महिला सशक्तीकरण समाज में नारी की अस्मिता के विकास में आने वाले अवरोधों के खिलाफ एक सामाजिक चेतना को सामने रख रहा है। आज के सम्य और उन्नत समाज में यौन शोषण जैसे अभिशाप निम्न वर्गों से ही नहीं जन्मते, उच्च वर्ग में भी जन्मते हैं। उनकी उत्कर्ष और भोग की उत्कट आकांक्षाएँ नित नई डिशों की खोज में, व्हिलों, होटलों, नारी केन्द्रों में नारी शिक्षा के आसपास मंडराया करती हैं। महिला सशक्तीकरण में जो प्रयास हो रहे हैं वे अभिनव हैं, हितवर्धन से जुड़े हैं। इसमें महिलाओं के पिछड़ेपन या उनकी समस्याओं को ही नहीं देखा जाता, या सुलझाया जाता बल्कि प्रतिभाओं को उनका समुचित स्थान मिले, वे ही सही ढंग से सम्मानित हों, और समाज में नये क्षेत्रों को सही ढंग से समाने लाएँ। डा० शोभा विजेन्द्र ने सशक्तीकरण को स्पष्ट करते हुए कहा है कि सशक्तीकरण एक प्रक्रिया है, जिसके दो भाग हैं :

1. प्रथम सबसे पहले इसके अन्दर महिलाओं को जागरूक किया जाये एवं उनको सभी आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संसाधनों को उपलब्ध कराया जाए।
2. द्वितीय महिलाओं को प्लेटफार्म पर लाकर उनकी शक्ति और एकता को मजबूत बनाकर सामूहिक कार्य के लिए प्रेरित किया जाये।

महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार ने दो कार्यक्रम

1. इन्दिरा महिला योजना एव
2. सशक्तीकरण योजना को प्रारम्भ कर लायू किया है।

इन कार्यक्रमों का केन्द्र बिन्दु केवल महिलाएँ ही हैं। नानकचन्द्र के शब्दों में वर्ष 2001 को महिला सशक्तीकरण वर्ष अथवा महिला सशक्तीकरण पर्व के रूप में मानये जाने के मूल में उस मानसिकता के प्रति संघर्ष का आह्वान है जो महिलाओं को मान-सम्मान तथा उचित स्थान देने के मार्ग में अवरोध उत्पन्न करती है। ये अवरोध बालिकाओं के जन्म से पूर्व आरम्भ होकर उसके साथ शमशान भूमि तक जारी रहते हैं। इसीलिए प्रत्येक स्तर पर इन अवरोधों को समाप्त करना एक मानवीय समाज की अनिवार्य शर्त है। इस सोच के साथ ही व्यावहारिक पक्ष अपनी सक्रियता में असाधारण होगा।

उद्देश्य

1. विभिन्न कालों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति का अध्ययन करना।
2. विभिन्न कालों में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति का अध्ययन करना।
3. भारतीय समाज में परम्पराएं, रीतिरिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान का अध्ययन करना।
4. महिलाओं को शिक्षित कर पुरुषों के बराबर का दर्जा देना।

Remarking An Analisation

Title Code: UPBIL04788

Vol-I * Issue- IV* July - 2016

उपकल्पना

1. विभिन्न कालों में महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति सक्रिय हुई।
2. विभिन्न कालों में महिलाओं की शैक्षिक स्थिति में सुधार हुआ।
3. भारतीय समाज में परम्पराएँ, रीतिरिवाज एवं धार्मिकता में जागरूकता बढ़ी।

उपलब्धियाँ

विभिन्न कालों में महिलाओं की बदलती हुई प्रस्थिति को जानने के लिए महिलाओं की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक स्थिति का अध्ययन किया गया। स्वतन्त्रता के बाद महिलाओं की प्रस्थिति में अधिक सुधार हुआ है। महिलाओं को सरकारी, गैर सरकारी संगठनों तथा समाज सुधारकों के प्रयास से उचित स्थान मिला।

निष्कर्ष

वैदिक काल से लेकर आज तक महिला की स्थिति में हमेशा ही परिवर्तन होते रहे हैं। समाज में उसका स्थान हमेशा बदलता रहा है। परिस्थितियों के अनुसार महिला की स्थिति में भी परिवर्तन होते गये और वह इन परिवर्तनों को सहजता के साथ स्वीकार करती गई। पुरुष प्रधान समाज में वह हमेशा स्वयं को उपेक्षित एवं हाशिये पर खड़ा पाती, लेकिन महिला के अन्तर्मन में अपने अधिकारों के लिए जा ललक थी, वह धीरे-धीरे सशक्त होती गई और कुछ लोग तो उसे महाशक्ति पुकारने लगे। बीसवीं शताब्दी में शिक्षा के प्रसार से महिला अपने अधिकारों के प्रति और अधिक सचेत हो गई। अनेक महिला संगठनों का गठन हुआ और महिला मुक्ति आन्दोलन की हवा गली-गलियारों में दिखाई देने लगी।

महिला अपनी अस्मिता व अस्तित्व की रक्षा के लिए संघर्ष करती हुयी दिखाई देती है, उसके इस संघर्ष में पुरुष सहभागी नहीं बना ऐसा कहा जा सकता है। क्योंकि महिला जाति की समस्त समस्याओं की जड़ में पुरुष ही दिखाई देता है। बहुत लम्बे समय बाद आज महिला ने यह सिद्ध कर दिया है कि वह जीवन के किसी भी क्षेत्र में पुरुष से कम नहीं है। आज भारतीय महिला पूर्णतः पुरुष पर ही आश्रित नहीं है, वह पुरुष की जीवन

साथी बनती जा रही है। अतः उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् भारतीय महिलाओं की प्रस्थिति में काफी सुधार हुआ है।

सुझाव

1. महिलाओं को राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के बराबर अधिकार मिलने चाहिए।
2. पत्नी परिवार में महत्वपूर्ण होती है इसलिए उसे अद्वार्गिनी का दर्जा मिलना चाहिए।
3. महिलाओं को शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि वे पुरुषों के बराबर आ सकें।
4. भारतीय समाज की सभी परम्पराएँ, रीति-रिवाज एवं धार्मिक अनुष्ठान पुरुषों एवं महिलाओं द्वारा निर्मित होने चाहिए।
5. महिलाओं को उनके अधिकार के लिए जागरूक किया जाए और उनको आर्थिक, सामाजिक एवं राजनैतिक संसाधन उपलब्ध कराने चाहिए।
6. महिलाओं को एक प्लेटफार्म पर लाकर उनकी शक्ति एवं एकता को मजबूत बनाकर सामूहिक कार्य के लिए प्रेरित किया जाये।
7. महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के लिए केन्द्रीय सरकार को कुछ ऐसी योजनाएँ चलानी चाहिए जिससे उनकी आर्थिक स्थिति सुधार सके।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. दुआ सरला : “आधुनिक हिन्दी साहित्य में नारी”, तक्षशिला प्रकाशन, देहली, 1960 पृ० 201.
2. दुआ सरला : “आधुनिक हिन्दी कहानी में नारी की भूमिकाएँ”, तक्षशिला प्रकाशन, देहली, 1955 पृ० 26.
3. किंशोर (1955) ने “स्त्री-पुरुष : कुछ पुनर्विचार” तक्षशिला प्रकाशन, देहली, 1955 पृ० 13 एवं 14.
4. रविन्द्र नाथ मुखर्जी : “भारतीय समाज व संस्कृति”, विवेक प्रकाशन, नई दिल्ली, 2006
5. राजकिशोर: “मणिमाला-स्त्री, परम्परा और आधुनिकता”, तक्षशिला प्रकाशन, देहली, 1950 पृ० 26.
6. त्रिपाठी चन्द्रवली : “भारतीय समाज में नारी आदर्शों का विकास”, तक्षशिला प्रकाशन, देहली, 1956, पृ० 31.